राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

पत्रांकः प.1(1)चि.स्वा./गुप–2/2020/ जयपुर, दिनांकः 01/09/2020

परिपत्र

विषयः– RUHS से Discharge किए गए Asymptomatic COVID Patient को Home Isolation अथवा COVID Care Center हेतु जयपुर एवं अन्य जिलों में भिजवाने की व्यवस्था के क्रम में।

जैसा कि विदित है RUHS, Jaipur ही नहीं राज्य स्तर का COVID Care हॉस्पिटल है, तथा इस कारण यहाँ सम्पूर्ण राज्य से COVID मरीज चिकित्सा हेतु Refer किए जाते हैं। RUHS में SMS Medical College, Jaipur तथा RUHS हॉस्पिटल के संयुक्त वरिष्ठ चिकित्सा दल के द्वारा COVID-19 के Critical Patients की चिकित्सा की जा रही है। RUHS में अधिकाधिक गंभीर मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकें इसके लिए यह आवश्यक है कि RUHS में चिकित्सकों द्वारा यह निर्धारित करने के उपरान्त की COVID-19 Critical Patients स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हुए Asymptomatic, Moderate/Mild Symptoms के रूप में Discharge योग्य हो चुका है, तो उसे Home Isolation अथवा COVID Care Center में भर्ती करने के लिए discharge कर transportation की आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने के लिए निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैः–

1. RUHS से COVID-19 के मरीज की स्थिति में पर्याप्त सुधार होने पर संबंधित वरिष्ठ चिकित्सक की अभिशंषा पर Principal SMS Medical College/Principal RUHS, द्वारा गठित दो सदस्यीय चिकित्सकीय बोर्ड के द्वारा उसको Home Isolation/Institutional Quarantine के लिए Discharge किया जा सकेगा।

2. ऐसे Discharge किए जा रहे व्यक्ति के संबंध में सूचना CMHO-I, Jaipur को एक दिवस पूर्व दी जा कर उन्हें आवश्यक transportation तथा isolation के क्रम में निर्णय लेने हेतु Notice दिया जाएगा। साथ ही उक्त सूचना Patient/attendant को भी आवश्यक रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

3. CMHO-I, Jaipur के द्वारा जयपुर जिले के मरीजों, तथा अन्य जिले के मरीजों के लिए संबंधित CMHO के द्वारा मरीज के घर की स्थिति को देखते हुए उसे गृह/संस्थागत क्वारंटीन करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

4. ऐसे Discharge किए जा रहे मरीजों की Sensitivity/Vulnerability को दृष्टिगत रखते हुए Principal RUHS द्वारा मरीज को Discharge करने के स्थान पर RUHS के अन्तर्गत स्थापित किए गए COVID Care Center में भी रखा जा सकता है।

5. Discharge किए गए मरीजों को जयपुर/अन्य जिले के Institutional Quarantine अथवा Home Quarantine की स्थिति में घर तक पंहुचाने के लिए संपूर्ण यात्रा हेतु एक ही वाहन का प्रयोग किया जाएगा जिसकी उपलब्धता जयपुर CMHO-I अथवा संबंधित जिले के CMHO के द्वारा की जा सकती है। इस हेतु वे आपसी समन्वय से निर्णय लेंगे। इस कार्य के लिए वह उनको उपलब्ध कराए गए COVID Respond Fund या Untied Fund का उपयोग कर सकेंगे।

6. अन्य संभागीय Medical Colleges में इलाजरत COVID के Critical मरीजों हेतु भी सुधार की स्थिति में उक्तानुसार व्यवस्था की जा सकती है।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
8. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राजस्थान।
9. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राजस्थान।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राजस्थान।
11. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
12. निजी/रक्षित पत्रावली।

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव